"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2009—आश्विन 22, शक 1931

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप.चु./2009/3552.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का अधिसूचना संख्या 100/छ. ग.-वि.स., 1/2009, दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 जिला दुर्ग के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66-वैशाली नगर के लिये विधान सभा उपचुनाव-2009 संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 14 अक्टूबर, 2009—22 आश्विन, 1931 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/छ.ग.-वि.स./1/2009.—यत:, छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा में 66-वैशाली नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सुश्री सरोज पाण्डेय की त्याग-पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 मई, 2009 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य से उक्त 66-वैशाली नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 16 नवम्बर, 2009 (सोमवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से,एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	21 अक्तूबर, 2009 (बुधवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	22 अक्तूबर, 2009 (बृहस्पतिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	:	24 अक्तूबर, 2009 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	7 नवम्बर, 2009 (शनिवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	16 नवम्बर, 2009 (सोमवार)

नियत करता है ; और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(बर्नाड जॉन)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 14th October, 2009— 22 Asvina, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/CGH-LA/1/2009.—WHEREAS, the seat of Ms. Saroj Pandey in the Legislative Assembly of the state of Chhattisgarh, elected from 66-Vaishali Nagar Assembly Constituency has become vacant on 30th May, 2009 by reason of her resignation; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. Now, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

(A) Calls upon the said 66-Vaishali Nagar Assembly Constituency in the State of Chhattisgarh, to elect, before the 16 November, 2009 (Monday) and in accordanc with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the state ;

(B) Appoints, with respect to the said election—

(a) the 21st October, 2009 (Wednesday), as the last date for making nominations;
(b) the 22nd October, 2009 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) the 24th October, 2009 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
(d) the 7th November, 2009 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 16th November, 2009 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 8.00 A. M. to 5.00 P. M. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-

(BERNARD JOHN)
Secretary
Election Commission of India

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.